न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 35/2018
RCMS Case No. 2018/00400

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मालाराम पुत्र नैनाराम जाति मेघवाल निवासी चौकडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 चैनाराम पुत्र चुनाराम जाति मेघवाल निवासी चौकड़िया 2 तहसीलदार मा0जं0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कानाराम सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खूमाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर ग्राम चौकडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 379 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 18.06.2000 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चौकडिया के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 0.8679 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में से 0.5058 हैक्टेयर की भूमि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1999 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान की। उक्त बेचान के पश्चात अपीलाण्ट के हक हिस्से में 0.3621 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा उक्त विक्रय विलेख के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 134/1 की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी, जिस नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त करने पर उक्त त्रुटी की जानकारी हुई, जिस पर उन्होने विधिक राय प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार करवावे एवं अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

मियाद में शुमार करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें उल्लेखित तथ्य बिल्कुल झूठे एवं मनगढन्त है। अपीलाण्ट द्वारा आपदा अनुदान प्राप्त करने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी होना जाहिर किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की पालना में दायर किया गया है तथा जब तक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अस्तित्व में है, उक्त नामान्तरकरण को अपास्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण पर भी खारिज़ योग्य होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 18.06.2000 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 18 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो जैर अपील नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1999 की पालना में दायर किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि खातेदार मालाराम पुत्र नैनाराम जाति मेघवाल निवासी चौकडिया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम चौकडिया के खसरा नम्बर 134/1 रकबा 0.8679 हैक्टेयर में से 0.5058 हैक्टेयर की भूमि चैनाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी चौकडिया को बएवज रूपये 16000/– में बेचान की गई, जिसके आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है। जैर अपील नामान्तरकरण में खसरा नम्बर 134/1 की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज की गई है, जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजी का तो बेचान ही नहीं किया गया। बेचान रजिस्ट्री एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि बेचान के पश्चात अपीलाण्ट के हक हिस्से में 0.3621 हैक्टेयर भूमि शेष रहती है, जिसे जैर अपील नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की गई है, जो विधि विरूद्ध है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम चौकडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 379 पर

अति० जिला कलेक्टर, पाली

नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 18.06.2000 को अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1999 के सम्बन्ध में जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली